

# इस्लाम प्रश्न और उत्तर

जनरल पर्यवेक्षक : शैख मुहम्मद सालेह  
अल-मुनज्जिद

## 33798 - बिना एहराम बांधे हुए मीकात से आगे बढ़ना

### प्रश्न

उस आदमी का क्या हुक्म है जो बिना एहराम बांधे हुए मीकात से आगे बढ़ गया जबकि वह हज्ज करने का इरादा रखता है?

### विस्तृत उत्तर

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह तआला के लिए योग्य है।

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह के लिए है।

जो व्यक्ति मीकात से गुजरे और वह हज्ज या उम्रा करने का इरादा रखता है, तो उसके ऊपर मीकात से एहराम बांधना अनिवार्य है। यदि वह मीकात से आगे बढ़ गया और एहराम नहीं बांधा तो उसके लिए मीकात पर वापस लौटना अनिवार्य है ताकि वहाँ से वह एहराम बांधे। यदि उसने ऐसा नहीं किया और मीकात से आगे बढ़ने के बाद वहीं से एहराम बांध लिया तो विद्वानों के निकट प्रसिद्ध कथन यही है कि उसके ऊपर एक दम (कुर्बानी) अनिवार्य है। चुनावे वह मक्का में एक बकरी ज़बह करेगा और उसे मिस्कीनों (गरीबों) में बांट देगा।

शैख इब्ने बाज़ रहिमहुल्लाह ने फरमाया:

जो व्यक्ति हज्ज या उम्रा के लिए मीकात से आगे बढ़ जाए और एहराम न बांधे तो उसके ऊपर अनिवार्य है कि वापस आकर मीकात से हज्ज या उम्रा का एहराम बांधे। क्योंकि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने कथन के द्वारा इसका आदेश दिया है : “मदीना वाले ज़ुल-हुलैफा से एहराम बांधें, शाम वाले जहूफा से एहराम बांधें, नज्द वाले कर्नुल मनाज़िल से एहराम बांधें और यमन वाले यलमलम से एहराम बांधें।” ... अतः अगर उसका इरादा हज्ज या उम्रा करना है तो उसके लिए उसी मीकात से एहराम बांधना अनिवार्य है जिससे वह गुज़र रहा है। यदि वह मदीना के रास्ते से गुज़र रहा है तो ज़ुल-हुलैफा से एहराम बांधेंगा, अगर शाम या मिस्र या मगरिब के रास्ते से आ रहा है तो जहूफा से (वर्तमान समय में राबिग से) एहराम बांधेंगा, अगर यमन के रास्ते से आ रहा है तो यलमलम से एहराम बांधेंगा और यदि नज्द या ताइफ़ के रास्ते से आ रहा है तो वादी कर्न से एहराम बांधें गा, जिसे आजकल “अस्सैल” के नाम से जाना जाता है

# इस्लाम प्रश्न और उत्तर

जनरल पर्यवेक्षक : शैख मुहम्मद सालेह  
अल-मुनज्जिद

और कुछ लोग उसे “वादी मोहरिम” का नाम देते हैं। चुनाँचे वह वहाँ से हज्ज या उम्रा या दोनों का एक साथ अहराम बांधेगा.. अंत तक

फतावा इस्लामिया (2/201).

[मगरिब: इससे अभिप्राय उत्तर अफ्रीका का पश्चिमी भूखण्ड है, जिसमें छह देश शामिल हैं: मोरक्को, अल्जीरिया, तूनीशीया, लीबिया और मौरितानिया]

शैख इब्ने जिब्रीन ने फरमाया:

जिस व्यक्ति ने मीक़ात से आगे बढ़ने के बाद एहराम बांधा, तो उसके ऊपर भरपाई का दम (कुरबानी) अनिवार्य है, और अल्लाह तआला ही सबसे अधिक ज्ञान रखता है। अंत हुआ।

“फतावा इस्लामिया” (2/198).